



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 04.07.2021

1-थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा, ओयो होटल रॉयल पैलेस में अनैतिक देह व्यापार कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कुल 06 अभियुक्त (05 पुरुष एवं 01 महिला) गिरफ्तार, कब्जे से 12 मोबाइल व 37,675/- रूपये नकद व आपत्तिजनक वस्तुएं, 05 लेडीज पर्स, 01 लैपटाप बरामद।

दिनांक 04.07.2021 को थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा अनैतिक देह व्यापार कराने वाले गिरोह के कुल 06 अभियुक्त 1. मनोज कसाना पुत्र स्व0 राजवीर सिंह कसाना निवासी ग्राम सकलपुरा थाना लोनी जनपद गाजियाबाद 2. देवेश कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी डी 120 गली नं0-2 कर्दम फार्म जोहरीपुर दिल्ली 3. शंकर कुमार देव पुत्र गुलाल चंद देव निवासी जे 80/9 प्रथम तल पाण्डव नगर दिल्ली 4. दुर्गेश कुमार यादव पुत्र योगेन्द्र यादव निवासी ग्राम भटसीमल थाना राजनगर जिला मधुबनी बिहार हालपता आर.एन 64 प्राईटीन होटल सेक्टर 62 नोएडा 5. राहुल त्रिपाठी पुत्र आदेश त्रिपाठी निवासी ग्राम डाली बाबा राजेश दाल मील के पास जिला सतना मध्य प्रदेश हाल पता बी ब्लॉक सैक्टर 62 नोएडा 6.

शीतल पुत्री प्रवीन निवासी जेरखपुर पटियालाय चौक चण्डीगढ पंजाब को आर0एन0-2, बी ब्लाक सेक्टर-62 नोएडा ओयो होटल रॉयल पैलेस से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 12 मोबाइल व 37,675/- रूपये नकद व आपत्तिजनक वस्तुएं, 05 लेडीज पर्स, 01 लैपटाप व 01 रजिस्टर बरामद हुये है।

### **अभियुक्तों का विवरण:**

1. मनोज कसाना पुत्र स्व0 राजवीर सिंह कसाना निवासी ग्राम सकलपुरा थाना लोनी जनपद गाजियाबाद
2. देवेश कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी डी 120 गली नं0-2 कर्दम फार्म जोहरीपुर दिल्ली
3. शंकर कुमार देव पुत्र गुलाल चंद देव निवासी जे 80/9 प्रथम तल पाण्डव नगर दिल्ली
4. दुर्गेश कुमार यादव पुत्र योगेन्द्र यादव निवासी ग्राम भटसीमल थाना राजनगर जिला मधुबनी बिहार हालपता आर.एन 64 प्राईटीन होटल सैक्टर 62 नोएडा
5. राहुल त्रिपाठी पुत्र आदेश त्रिपाठी निवासी ग्राम डाली बाबा राजेश दाल मील के पास जिला सतना मध्य प्रदेश हाल पता बी ब्लाक सैक्टर 62 नोएडा
6. शीतल पुत्री प्रवीन निवासी जेरखपुर पटियालाय चौक चण्डीगढ पंजाब

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण:**

मु0अ0सं0-552/21 धारा 370ए,(2), 34 भादवि व धारा 3/4/5/6, 7(1)(ए), 7(2)(ए), अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 थाना सैक्टर-58, नोएडा

### **बरामदगी का विवरण:**

1. 12 मोबाइल
2. 37,675/- रूपये नकद
3. 01 लैपटाप
4. 01 रजिस्टर
5. 05 लेडीज पर्स

6. 01 कार फाक्सवैगन नम्बर डीएल-12सीएम-4487 (घटना में प्रयुक्त)

7. आपत्तिजनक वस्तुयें

**2-थाना फेस-3 पुलिस द्वारा, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

दिनांक 04.07.2021 को थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 444/2021 धारा 376/323/504/506/406/420 भादवि के अंतर्गत शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी वांछित अभियुक्त शुभम सोनी पुत्र प्रेमनारायण निवासी ग्राम व थाना सिरसाकलार जिला जालौन को अभियुक्त के निवास से गिरफ्तार किया गया है।

**अभियुक्त का विवरण:**

शुभम सोनी पुत्र प्रेमनारायण निवासी ग्राम व थाना सिरसाकलार जिला जालौन उ0प्र0

**अभियोग का विवरण:**

मु0अस0 444/2021 धारा 376/323/504/506/406/420 भादवि थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।



### 3-थाना बिसरख पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट का वांछित व 25000/रूपये ईनामी (हिस्ट्रीशीटर) गिरफ्तार।

दिनांक 04.07.2021 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा थाना बीटा-2 के मु0अ0सं0 835/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित व 25000/- का इनामी अभियुक्त सतीश पुत्र नेपाल सिंह निवासी ग्राम बमहेटा थाना कविगनर गाजियाबाद को एकमूर्ति गोल चक्कर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है।

अभियुक्त थाना बीटा-2 के मु0अ0सं0 835/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित है और 25000/- का ईनामिया भी है तथा थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद में क्र0सं0 13ए पर हिस्ट्रीशीटर है।

#### अभियुक्त का विवरण:

सतीश पुत्र नेपाल सिंह नि0 ग्राम बमहेटा थाना कविगनर गाजियाबाद

#### पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास :

- 1.मु0अ0सं0 314/2010 धारा 364ए भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
- 2.मु0अ0सं0 06/2011 धारा 307 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
- 3.मु0अ0सं0 017/2011 धारा 307 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
- 4.मु0अ0सं0 018/2011 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
- 5.मु0अ0सं0 063/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
- 6.मु0अ0सं0 835/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर
- 7.मु0अ0सं0 074/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बीटा- 2 गौतमबुद्धनगर
- 8.मु0अ0सं0 071/2017 धारा 307 भादवि थाना बीटा- 2 गौतमबुद्धनगर
- 9.मु0अ0सं0 814/2004 धारा 302 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
- 10.मु0अ0सं0 314/2008 धारा 406/379 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
- 11.मु0अ0सं0 019/2017 धारा 395/412 भादवि थाना गंगानगर मेरठ

12. मु0अ0सं0 550/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर

## बरामदगी का विवरण:

01 अवैध चाकू



# जनपद गौतमबुद्धनगर में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है साथ ही साप्ताहिक लॉकडाउन पूर्व की भांति लागू है। इस सम्बंध में पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्रों में लगातार पीसीआर , माइक मोबाइल जीप , पीए सिस्टम के माध्यम से अनाउंसमेंट कराया जा रहा है साथ ही कोविड 19 प्रोटोकॉल/गाइडलाइन्स का अनुपालन कराने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यदि कोई भी कोविड/ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता पाया जा रहा है तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही भी की जा रही है।

इसी क्रम में साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान दिनांक 04.07.2021 को 4893 व्यक्तियों का मास्क न पहनने/सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर तथा 2063 वाहनों का ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान किया गया। 402 व्यक्तियों पर लॉकडाउन के उल्लंघन व सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने को लेकर 188 व 290 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर द्वारा कोविड 19 नियमों के उल्लंघन की यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।